चेकलिस्ट क्र.--11 पर्यावरण संरक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान द्वारा बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत बिलासपूर वन परिक्षेत्र के राजस्व वनभूमि (छोटे/बडे झाड का जंगल) का रकबा 0.0191 हे. भूमि में 18'' इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।

इस परियोजना के लिये पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम 1986) के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति

की आवश्यकता नहीं है।

(कुमरि, निशांत)

Page

एम.वी. अरविन्द रेयोजना) उप द्धसा) जिमिटिड Deputy General Wiarians (Construction गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) GAIL (India) Ltd. Raipur

HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928 No. 1067] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1533(अ). — केंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गृतित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संख्क्षण) अधिनियम, 1986 की घारा 3 की उपघारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में¹, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समाघातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संख्क्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संख्क्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संख्क्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिरोपति करने के लिए, पर्यावरण (संख्क्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संख्क्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसेचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का0आ0 सं0 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उम्पर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर लिया है ।

2900 GI/2006

(1)

अतः, अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना सं0 का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस अधिसूचना में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 के

अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात ही किया जाएगा

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षाएं (ई.सी.) :-

निम्नलिखित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, कोई संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पूर्व उक्त अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से, जिसे अनुसूची में 'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहा गया है, और राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण कहा गया है, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी जब परियोजना या क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है ।

- इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाएं या क्रियाकलाप ;
- (ii) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का, संबंधित क्षेत्र के लिए अर्थात् परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए जो विस्तार या आधुनिकीकरण के पश्चात् अनुसूची में दी गई अधिकतम सीमाओं को पार कर लेते हैं, क्षमता में परिवर्धन सहित विस्तार या आधुनिकीकरण ;
- (iii) विनिर्दिष्ट रेंज से परे अनुसूची में सम्मिलित किसी विद्यमान विनिर्माणकर्ता यूनिट में उत्पाद मिश्रण में कोई परिवर्तन ।

3. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण :--(1) कोई राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिसे इसमे इसके पश्चात् एसईआईएए कहा गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 की घारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित किया जाएगा जिसमें तीन सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक सदरय-राचिव, राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

¹ बारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खंड और अनन्य **आर्थि**क जोन सम्मिलित है |

(2) सदस्य-सचिव संबेधित राज्य सरकार या संघ<u>राज्यक्षेत्र प्र</u>शासन का सेवारत अधिकारी होगा जो पर्यावरण विधियों से परिचित होगा ।

(3) अन्य दो सदस्य या तो वृत्तिक या विशेषज्ञ होंगे जो इस अधिसूचना के परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी को पूरा करते हों ।

(4) जगर उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य जो पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया में विशेषज्ञ हो, एसईआईएए का अध्यक्ष होगा ।

(5) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपपैरा (3) से उपपैरा (4) में निर्दिष्ट सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी और केन्द्रीय सरकार नामों के प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस अधिसचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईएए को एक प्राधिकरण के रूप में गठित करेगी ।

(6) गैर पदधारी सदस्य और अध्यक्ष की (प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से) तीन वर्षों की नियत पदावधि होगी ।

(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय एकमत से होंगे और किसी बैठक में लिए जाएंगे |

परियोजना और क्रियाकलापों का प्रवर्गीकरण :--

- (i) सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप मुख्यतः दो प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत हैं- प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' सक्षम समाघात की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों पर आधारित हैं ।
- (ii) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सम्मिलित है, के लिए, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी ;

(iii) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत पैरा 2 के उपपैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण या पैरा 2 के उपपैरा (iii) में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन भी हैं, किन्तु जिसमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो अनुसूची में निश्चित की गई साधारण शर्तों को पूरा करते हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी । एसईआईएए का अपना विनिश्चय, इस इस अधिसूचना में गठित की जाने वाली किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों पर आधारित होगा । एसईआईएए सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में, कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी ;

5. स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन समिति :- केंद्रीय सरकार के स्तर पर वही विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य या संघ राज्य स्तर पर राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईएसी और एसईएसी कहा गया है) क्रमशः प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों की स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन करंगी । ईएसी और एसईएसी की प्रत्येक माल में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

- (क) ईएसी की संरचना परिशिष्ट VI में दी जाएगी । राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एसईएसी का गठन संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से समान संरचना सहित गठन किया जाएगा ।
- (ख) केंद्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशालन की पूर्व सहमति से प्रशासनिक सुविधा और लागत के कारणों से एक या अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी का गठन कर सकेगी ।
- (ग) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी ।
- (घ) संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति के प्राधिकृत सदस्य उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगी गई है, को स्क्रीन करने था विस्तार करने या आंकलन के प्रयोजनों के लिए आवेदक को जो निरीक्षण के लिए आवश्यक संविधार देगा, कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देंगे ।
- (ड) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेगी । अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति बनाने का प्रयास करेगा और सहमति नहीं बन पाती है तो बहुमत का विचार माना जाएगा ।

6. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन (ईसी) :-- सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए कोई आवेदन, परियोजना और/या क्रियाकलापों के लिए, जिससे आवेदन संबंधित है, आवेदक द्वारा स्थल पर किसी सन्निर्माण क्रियाकलाप या भूमि की तैयारी के प्रारंभ के पूर्व, पूर्वेक्षित स्थल (स्थलों) की पहचान के पश्चात् परिशिष्ट 2 कि बचा है, यदि लागू हों, इससे संलग्न प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क में किया जाएगा । आवेदक, उसके सिवाय, रनिमाज परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की मद 8) के मामले में प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क के अतिरिक्त युवे राध्यता परियोजना निपोर्ट की एक प्रति, पूर्व साध्यता रिपोर्ट के स्थान पर धारणा योजना की एक प्रति आवेदन के साथ पेश करेगा ।

7. (i) नई परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) प्रक्रिया के प्रक्रम :-- नई परियोजनाओं के लिए पयांदरणीय अनग्धति प्रक्रिया में अधिकतम चार प्रक्रम समाविष्ट होंगे, जिनमें से सभी इस अधिसूचना में नीचे अधाधपवर्णित विशिष्ट मामलों में लागू नहीं होंगे , ये चार प्रक्रम श्रृंखलाबद्ध कम में होंगे :--

4 ...

प्रक्रम (1) स्क्रीनिंग (केवल प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए)

- प्रक्रम (2) विस्तारण
- प्रक्रम (3) लोक परामर्श
- प्रक्रम (4) आंकलन

I. प्रक्रम (1) - स्क्रीनिंग :

प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, यह प्रक्रम परियोजना की प्रकृति और अवस्थिति विनिर्देश पर आधारित पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने से पूर्व उसके आंकलन के लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह अवधारण करने के लिए कि परियोजना या क्रियाकलाप के लिए आगे पर्यावरणीय अध्ययन करना अपेक्षित है या नहीं संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा प्ररूप 1 में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए किसी आवेदन की संवीक्षा होगी । कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं को प्रवर्ग ''ख1'' कहा जाएगा और शेष परियोजनाओं को प्रवर्ग ''ख2'' कहा जाएगा और उसके लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी । मद 8ख के सिवाय परियोजनाओं के ख 1 या ख2 में प्रवर्गीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

II. प्रक्रम (2) विस्तारण :

(i) उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति, और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार और/या आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के विस्तार, सौपे जाने वाले विस्तृत और व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए, उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, आवेदन सम्मिलित हैं । विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप 1क में दी गई जानकारी के आधार पर सौंपे जाने वाले कार्य अवधारित करेगी, जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा सौंपे जाने वाले प्रस्थापित कार्य, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी सब ग्रुप द्वारा देखा गया कोई स्थल, यदि विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कार्य और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हो, सम्मिलित हैं । अनुसूची की मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/वाणिज्यिक काम्प्लैक्स/आवासन) के लिए विस्तार अपेक्षित नहीं होगा और उनका आंकलन प्ररूप 1/प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(ii) सौँपे गए कृत्यों को प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विश्वेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवेदक को प्रेषित किया जाएगा । अनुसूची के प्रवर्ग क हाइड्रोक्लेक्ट्रिक परियोजना मद 1 (ग) (i) के मामले में सौंपे गए कृत्यों को पूर्व संनिर्माण क्रियाकलापों के लिए अनापत्ति सहित प्रेषित्त किया जाएगा । यदि सौंपे गए कृत्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाता है तो आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कृत्य ईआईए अध्ययन के लिए अनुमोदित अंतिम सौंपे गए कृत्यों के रूप में समझे जाएंगे । अनुमोदित सौंपे गए कृत्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे । (iii) इसी प्रक्रम पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की

सिफारिश पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदनों को नामंजूर किया जा सकेगा । ऐसे नामंजूर किए जाने की दशा में, विनिश्चय को उसके कारणों सहित आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति के साह दिनों के भीतर लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

III प्रक्रम (3) लोक परामर्श

(i) "लोक परामर्श" उसं प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की चिंताओं को, जिनका परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाधातों में न्यायसंगत आधार है, समुचित रूप में अभिकल्पित परियोजना या क्रियाकलाप में संबंधित सभी सामग्री को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा । सभी प्रवर्ग " क" और प्रवर्ग "ख1" परियोजनाएं या क्रियाकलाप निम्नलिखित के सिवाय लोक परामर्श करेंगे :-

(क) सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण (अनुसूची की मद 1(ग) (ii))।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों के भीतर अवस्थित सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाम (अनुसूची की मद 7(ग)) और जिन्हें ऐसे अनुमोदन में अननुज्ञात नहीं किया जाता है।

(ग) सड़कों और राजमार्गों का विस्तार (अनुसूची की मद 7(च))जिनमें भूमि का कोई और अर्जन अंतर्वलित नहीं है ।
 (ध) सभी भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और नगरीय योजनाएं (मद 8)।

(ड) सभी प्रवर्ग ख 2'परियोजनाएं और क्रियाकलाप ।

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप या जिसमें अन्य युक्तगत विचार अंतर्वलित हैं ।

(ii) लोक परामर्श में साधारणतया दो घटक समाविष्ट होंगे :-

(क) स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को सुनिश्चित करने के लिए परिशिष्ट 4 में विहित रीति में की जाने वाली स्थल पर या उसके निकट परिसर में जिला वार कोई लोक सुनवाई ;

(ख) परियोजना या क्रियाकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना ।

भारत का राजपत्र : असाधारण

(iii) स्थल (स्थलों) पर या उसके निकट परिसर में सभी मामलों में लोक सुनवाई विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की जाएगी और कार्यवाहियों को आवेदक से प्राप्त अनुरोध के पैंतालीस दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा ।

(iv) यदि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई नहीं करती है और लोक सनुवाई को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं करती है और/या लोक सुनवाई की कार्यवाहियां को विहित अवधि के मीतर यथाउपर्युक्त संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रेषित नहीं करती है तो विनियामक प्राधिकरण अन्य लोक अभिकरण या प्राधिकरण को, जो विनियामक प्राधिकरण का अधीनस्थ नहीं है, प्रक्रिया को पैतालीस दिनों की और अवधि के मीतर पूरा करने के लिए लगाएगी ।

(v) यदि उपप उपपैरा (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट लोक अभिकरण या प्राधिकरण, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को यह रिपोर्ट करता है, कि स्थानीय अवस्थिति के कारण लोक सुनवाई करना संभव-नहीं है, तो किसी रीति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए जाने वाले संबंधित स्थानीय व्यक्तियों के विचारों का समर्थन करेंगे । वह उस तथ्य की रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण को ब्यौरेवार देगा जो रिपोर्ट पर और अन्य विश्वसनीय सूचना पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, जिसका लोक परामर्श के लिए विनिश्चय किया गया है, उस दशा में जिसे लोक सुनवाई में सम्मिलित करने की आवश्यकता है, रिपोर्ट करेगा ।

(vi) परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रक्रिया अभिप्राप्त करने के लिए, संबंधित विनियामक प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक द्वारा परिशिष्ट उक में दिए गए प्ररूप में तैयार की गई संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट को उनके वेबसाइट पर देते हुए ऐसे संबंधित व्यक्तियों से लोक सुनवाई की व्यवस्था के लिए किसी लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेंगी । गोपनीय सूचना, जिसके अंतर्गत प्रकट न करने योग्य या विधिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त सूचना, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्वलित हैं, आवेदन में विनिर्दिष्ट स्रोत, वेबसाइट पर नहीं रखे जाएंगे । संबंधित विनियामक प्राधिकरण, परियोजना या क्रियाकलाप की बाबत विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य समुचित मीडिया का उपयोग भी कर सकेगा । विनियामक प्राधिकरण, तथापि लोक सुनवाई की तारीख तक निरीक्षण के लिए प्रास्प ईआईए रिपोर्ट किसी संबंधित व्यक्ति से, सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान अधिसूचित स्थान पर किसी लिखित अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा । इस लोक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त सभी प्रतिक्रियाएं शीघ्रतम उपलब्ध साधन से आवेदक को अग्रेषित की जाएंगी ।

(vii) लोक परामर्श पूरा करने के पश्चात्, इस प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त सभी सारवान पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करेगा और प्राख्य ईआइए और ईएमपी में समुचित परिवर्तन करेगा । इस प्रकार तैयार की गई अंतिम ई आई ए रिपोर्ट आवेदक के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । आवेदक, लोक परामर्श के दौरान अभिव्यक्त की गई सभी चिंताओं को संबोधित करते हुए, प्राख्य ईआईए और ईएमपी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट अंनुकल्पतः प्रस्तुत करेगा । IV प्रक्रम(4) - आंकलन :

(i) आंकलन से आवेदन और अन्य दस्तावेजों, ऐसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्शों का निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाहियां हैं, पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विस्तृत संवीक्षा अभिप्रेत है । यह आंकलन विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा किसी कार्यवाही को, फ़िसमें आवेदक को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रुप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, एक पारदर्शी रीति में किया जाएगा । इस कार्यवाही के निष्कर्ष पर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित निबंधनों और शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए उसके कारणों सहित स्पष्ट सिफारिशें करेंगी ।

(ii) सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन जो लोक परामर्श के लिए अपेक्षित नहीं है या कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, जैसा लागू हो विहित आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के आधार पर उपलब्ध सभी अन्य सुसंगत विधिमान्य सूचना और दौरा किए स्थल को, जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, कार्यान्वित किया जाएगा ।

(iii) किसी आवेदन का आंकलम, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति या प्ररूप 1 या प्ररूप 1क के साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जहां लोक परामर्श आवश्यक नहीं है, वहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अगले पन्द्रह दिनों के भीतर अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा । आंकलन की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट V में दी गई है ।

7. (ii) विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया,-

उस क्षमता के परे जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की गई है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या तो पट्टा क्षेत्र या खनन परियोजनाओं की दशा में उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित अंतिम सीमा के परे कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित विद्यमान यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए, प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के माध्यम से या उत्पाद मिश्रण में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित करने वाले सभी आवेदन प्ररूप 1 में किए जाएंगे और उन पर संबंधित विशेषच्न आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा साठ दिनों के भीतर विचार किया जाएगा, जो सम्यक् आवश्यक तत्परता से जिसके अंतर्गत ईआईए का तैयार किया जाना और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेगी और आवेदन का तदनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए आंकलन किया जाएगा ।

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर किया जाना या उसको खारिज किया जाना,-

(i) विनियामक प्राधिकरण, संबंधित ई ए सी या एस ई ए सी की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय को अविदक को विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रेषित करेगा या अन्य शब्दों में अंतिम पर्यारणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा और जहां पर्यावरणीय समाघात निर्धारण पूरे आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर अपित नहीं है वहां अपेक्षित दस्तावेज, नीचे उपबंधित के सिवाय प्रेषित करेगा । (ii) विनियामक प्राधिकरण, सामान्यतः विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशें को स्वीकार करेगा । उन दशाओं में जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों से असहमत है, वहां विनियामक प्राधिकरण विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारशों की प्राप्ति के पैंतालिस दिनों के मीतर असहमति के कारणों का कथन करते हुए पुनर्विचार का अनुरोध करेगा । इस विनिश्चय की सूचना आवेदक को साथ-साथ प्रेषित की जाएगी । उसके पश्चात् विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, विनियामक प्राधिकरण के संप्रेक्षणों पर विचार करेगी और उस पर अपने विचार साठ दिनों की और अवधि के मीतर पेश करेगी । विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अगले तीस दिनों के मीतर आवेदक को प्रेषित किया जाएगा ।

(iii) उस दशा में जहां विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय आवेदक को, ऊपर उपपैरा (i) या (ii) में, जहां लागू हो विनिर्दिष्ट अवधि के मीतर संसूचित नहीं किया जाता है, वहां आवेदक इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो मांगी गई पर्यावरण अनापत्ति मंजूर कर दी गई है या विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अंतिम सिफारिशों के निबंधनों में विनियामक प्राधिकरण द्वारा नामंजूर कर दी गई है ।

(iv) ऊपर पैरा (i) और (ii) के अधीन, जहां लागू हो, विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, विनियामक प्राधिकरण का विनश्चय और विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अंतिम सिफारिशें लोक दस्तावेज होंगे ।

(v) अन्य विनियामक प्राधिकरणों से परियोजनाओं या क्रियाकलापों, या संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्क्रीनिंग, विस्तारण या आंकलन या विनिश्चय पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदनों की प्राप्ति के पूर्व तब तक अपेक्षित नहीं होगी जब तक या तो ऐसी अनापत्ति किसी विधि की अपेक्षा का आवश्यक तकनीकी कारणों से कोई श्रृंखलाबद्ध आधार न हो ।

(vi) जान बूझ कर छिपाना और/या मिथ्या प्रस्तुतीकरण या भ्रामक सूचना या आंकडे देना जो स्क्रीनिंग, विस्तारण या आंकलन या आवेदन पर विनिश्चय के लिए सारवान हो, आवेदन को नामंजूर किए जाने या उस आधार पर मंजूर की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के रद्दकरण के लिए दायी बनाएगी । किसी आवेदन को नामंजूर करना या इस आधार पर पहले मंजूर की गई किसी पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के रद्दकरण का विनिश्चय विनियामक प्राधिकरण द्वारा ओवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई करने के पश्चात् किया जाएगा और उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

9. पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता,-

"पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता" से वह अवधि अभिप्रेत है जिससे विनियामक प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की जाती है या आवेदक द्वारा यह समझा जा सकेगा कि यह ऊपर पैरा 7 के उपपैरा (iv) के अधीन परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन प्रचालन आरंग करने या संनिर्माण परियोजनाओं की दशा में (अनुसूची की मद 8) सभी संनिर्माण प्रचालन पूरा करने, जिसके के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए 2900 GI/2006—2

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

आवेदम का निर्देश करता है, मंजूर की गई है । किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं (अनुसूची की मद 1(ग)) की दशा में दस वर्ष की अवधि के लिए, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्षों के लिए और समी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में पांच वर्ष होगी । तथापि क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरीय की दशा में (मद 8(ख)) विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगी जहां तक किसी विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व है । इस विधिमान्यता की अवधि को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पांच वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि कोई आवेदन आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण प्ररियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर किया जाता है । इस बाबत विनियामक प्राधिकरण,

यथास्थिति, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति से भी परामर्श कर संकेगा । 10. पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानीटर करना,-

(i) परियोजना प्रबंधन के लिए प्रत्येक कलेंडर वर्ष की 1 जून और 1 दिसंबर को संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों को अर्घवार्षिक रूप में हार्ड और साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा ।

(ii) षरियोजना प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई सभी ऐसी अनुपालन रिपोर्टें लोक दस्तावेज होंगी, उसकी प्रतियां संबंधित विनियामक प्राधिकरण को आवेदन पर किसी व्यक्ति को दी जाएंगी । ऐसी अंतिम अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी दर्शित की जाएगी । 11. पर्यावरणीय अनापत्ति की अंतरणीयता,-

किसी आवेदक को किसी विनिर्दिष्ट परियोजना या क्रियाकलाप के लिए मंजूर की गई कोई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अंतरक द्वारा या अंतरिकी द्वारा आवेदन पर परियोजना या क्रियाकलाप को करने के हकदार किसी अन्य विधिक व्यक्ति को अंतरक द्वारा लिखित "अनापत्ति सहित" जो इसकी विधिमान्यता की अवधि के दौरान संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आरंभ में मंजूर की गई थी और उसी विधिमान्यता अवधि के लिए अंतरित की जा सकेगी । ऐसे मामलों में विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति को कोई निर्देश आवश्यक नहीं है ।

12. 👘 लंबित मामलों के निपटान तक ई.आई.ए. अधिसूचना का प्रवर्तन,-

इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अधिसूचना सं0 का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, उस सीमा तक अधिक्रांत किया जाता है कि पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए किए गए और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख को लंबित सभी या कुछ प्रकार के आवेदनों को, परियोजानाओं या क्रियाकलापों को, उस सूची के सिवाय जिनमें अनुसूची 1 में पूर्व पर्यावरणी अनापत्ति अपेक्षित है, इस अधिसूचना के किसी एक या सभी उपबंधों से छूट दे सकेगी या उक्त अधिसूचना के कुछ या सभी उपबंधों के प्रवर्तन को इस अधिसूचना के जारी करने की की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जारी रख सकेगी । 11

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखे) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं वा क्रियाकलापों की सूची

क स.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग	- · ·	शतें, यदि कोई हो
		क	ख	
1	खनन, प्र	कृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत	। उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन ।	क्षमता के लिए)
1	2	3	4	5
1(ক)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥50 है0 किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐस्बैस्टज खनन	< 50 हैक्टेयर ≥ 5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण श र्त लागू होगी टिप्पण
				खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई डे बर्शेत कि वास्तिवक सर्वेक्षण के लिए
•				छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है ।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं •	-	टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शेत कि वास्तिवक
				सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमित लें गई है।
1(ग) -	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥50 मे0वा0 जल विद्युत	(i) <50 ≥ 25 मे0वा0	सधारण शर्त लागू होगी
		उत्पादन (ii)≥10,000 ह0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	जल विद्युत उत्पादन (ii) <10,000 है0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	•
1(ঘ)	तापीय विद्युत संयंत्र	कोयला लिग्नाइट और नेष्था गैस	(कोयला/लिग्नाइट/नैफ्था	' साधारण शर्त लागू होगी
•(4)		(पनियस सिर्माइट जार निया गरा आधारित) ≥500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईधन)	एवं गैस आधारित) <500 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)<50 मे.वा ≥5 मे.वा.	
1 (ন্ড)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	·····	प्राथमिक प्रसंस्करण	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2(ক)	कोयला धोवनशालाएं	≥1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	<1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी
				 (यदि खनन क्षेत्र के अंद स्थित है तो प्रस्ताव क मूल्यांकन खनन प्रस्ताव व
•	·			साथ किया जाना चाहिए)

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

2(ख)	खनिज सज्जीकरण	≥0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले	<0.1 मिलियन टन/	साधारण शर्त लागू होगी
	-	का उत्पादन	वार्षिक कोयले का उत्पादन	अनापत्ति प्रदान करने के
				लिए खनन प्रस्ताव का खनिज सज्जीकरण के साथ
				ही मूल्यांकन किया जाना
-	· · · · · ·			चाहिए
3		पदार्थ उत्पादन	<u>L</u>	
3(ক)	धातुकर्म उद्योग (फेरस और गैर फैरस)	क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग		· .
		सभी परियोजनाएं		
•	:	ख) स्पंज आयरन विंनिर्माण ≥ 200	स्पंज आयरन विनिर्माण	स्पंज आयरन विनिर्माण के लिए साधारण शर्त लागू
		टन पीडी	< 200 टन पी डी	होगी
		ग) गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग	गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग	
		सभी विषाक्त और भारी धातु	1) सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली	
		उत्पादित करने वाली ईकाइयां ≥ 20,000 टन/ वार्षिक	ईकाइयां <20,000 टन/ वार्षिक	
			2)अन्य सभी विषरहित गौण धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग	
 3(ख)	सीमेंट संयंत्र	वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0	> 5000 टन /वार्षिक वार्षिक उत्पादन क्षमता	साधारण शर्त लागू होगी
July		मिलियन टन	< 1.0 मिलियन टन	5
			यह सभी ग्राइंडिंग इकाइयों के लिए लागू है	
4		पदार्थ प्रसंस्करण		<u> </u>
4 (क)	पेट्रोलिम रिफाइनिंग उद्योग	सभी परियोजनाएं	-	-
4(च)	कोक भट्टी संयंत्र	≥ 2,50,000 टन वार्षिक	 < 2,50,000 एवं ≥ 25,000 टन वार्षिक 	-
4(ग)	एस्बेस्टास मिलिंग और एस्बेस्टास आधारित उत्पाद	सभी परियोजनाएँ		-
4(ঘ)	क्लोस्क्षार उद्योग,	उत्पादन क्षमता ≥ 300टन पी डी या	उत्पादन क्षमता < 300 टन पी डी और अधिसूचित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
		अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से बाह्य अवस्थित ईकाई	औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित ईकाई	किसी नए पारा प्रकोष्ठ आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस
			,	अधिसूचना द्वारा झिल्लीमय प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी में
1				परिवर्तन करने वाली
		· · ·		विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है।

[भाग 11—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

4 (ড)	सोडा भस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं	-	-
4(च)	चमझा/त्वचा/खाल प्रसंस्करणं उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विद्यमान ईकाइयों का विस्तार		विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	उत्पादन/फैब्रिकेशन	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	4
5(क)	रासायनिक उर्वरक	सभी परियोजनाएं	-	-
5(ख)	कीटनाशक उद्योग और	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशको को		
	कीटनाशक विशिष्ट मध्यक जीवमार (विनिर्मिति को छोड़कर)	उत्पादन करने वाली सभी ईकाइयां		
5(ग)	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश और प्राकृतिक गैस और/या सुगन्धितों में सुधार प्रसंस्करण आधारित उद्योग	सभी परियोजनाएं		
5(ঘ)	मानव निर्मित फाइवर	रेयन	अन्य '	साधारण शर्त लागू होगी
	का उत्पादन		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5(ड) 5(च)	पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसर के भीतर समाविष्ट नहीं है) संश्लिष्ट कार्बनिक	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपद्म के बाह्य अवस्थित अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(4)	रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक;	आयसूचित आधागक क्षत्र/सपदा क बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
	थोक औषधि और औषधि विनिर्मितियों को छोड़कर मध्यकः संस्लि-			
•	ष्ट रबड़ मूल कार्बनिक रसायन, अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन और रसायन मध्यक)			
5(छ)	आसवनी	 (i) सभी शीरा आधारित आसवनी । (ii) सभी गन्ने का रस/गैर -शीरा आधारित आसवनी ≥30 कि0ली0 दैनिक 	सभी गन्ने का रस/गैर शीरा आधारित आसवनी <30 कि0ली0 दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ज)	समेकित पेंट उद्योग	-	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
5(झ)	अपशिष्ट कागज से कागज का निर्माण और तैयार लुग्दी और विरंजन किए बिना तैयार लुग्दी से कागज	लुग्दी विनिर्माण और लुग्दी और कागज विनिर्माण उद्योग	लुग्दी विनिर्माण के बिना कागज विनिर्माण उद्योग	साधारण शर्त लागू होगी
4	निर्माण के अलावा लुग्दी एवं कागज			•

<u>13</u>

	उद्योग			
5(স)	चीनी उद्योग		गन्ना पेरने की क्षमता ≥ 5000 टन दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ट)	प्रेरण/आर्क		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
0(0)	भट्टी/कुपोला भट्टी 5			
	टन प्रति घंटा या ज्यादा			
6		सेवा सेक्टर		
6(ক)	राष्ट्रीय उद्यानों/	सभी परियोजनाएं		
•	अभयारण्यों/ प्रवाल			
	भित्तियों/ एल एन जी			
	टर्मिनल सहित			
	पारिस्थिकीय			
	संवेदनशील क्षेत्रों से			
-	गुजरने वाली तेल और			
	गैस परिवहन पाइप			
	लाइनें(अपरिकृष्त और			
4	परिष्करणी /पेट्रो			
	रसायन उत्पाद)			
6(ख)	एकल मंडारकरण और		सभी परियोजनाए	साधारण शर्त लागू होगी
•(•/	परिसंकटमय रसायन			
	को संभालना			
	(एमएसआईएचसी			
	नियम, 1989 और			
	2000 की संशोधित	· · ·	'	
	अनुसूची 2 और 3 के			
	स्तंभ 3 में उपदर्शित			
	अवसीमा योजना			
	परिमाण के अनुसार			
7	activity of organic	पर्यावरणीय सेवाओं सहित भी	तिक अवसंरचना	<u> </u>
7(क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएँ	-	_
7(ख)	सभी पोत भंजन यार्ड	सभी परियोजनाएं		<u> </u>
	जिसमें पोत भंजन			
	इकाई भी सम्मिलित है			
7(ग)		प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि	औद्योगिक संपदाएं और	विशेष शर्त लाग होगी
- ()	औद्योगिक	एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत	जिनमें कम से कम एक	
	सम्पदा/पार्क/परिसर/	आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को	श्रेणी ख का उद्योग स्थित है	500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र
	क्षेत्र/निर्यात प्रंस्संकरण	श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह	और क्षेत्र< 500 हैक्टेयर हो	की औद्योगिक संपदाअ
	जोन(नि.प्रं.जो.), विशेष	किसी भी क्षेत्र में हो	MIC 414 000 6464 C	जिनमें क या ख श्रेणी क
	আর্থিক		attalite atrant at a	कोई उद्योग नहीं है, क
:	जोन(वि.आ.जो.) जैव	500 हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की	औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र >	मंजूरी की आवश्यकता नह
	प्रौद्योगिकी पार्क चमझ	· ·	500 रहेक्टेयर और जिसमें	है
	परिसर	कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित	अणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है	-
		हो	काइ उद्यान नहा ह	
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय	रू सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें	केवल भूमि भरण वाली सभी	साधारण शर्त लागू होगी
1.64	,अपशिष्ट उपचार	भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल	1 9	
	भंडारकरण और	भरमीकरण शामिल है	Brank	
	निपटान सुविधाएं	TATION AND A REPORT OF C		
	(छ.भं.नि.सु.)]
	1 AND THE REAL PROPERTY OF	I		1.

[भाग]]---खण्ड 3(ii)]

7(ৰ্ভ)	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की	< 5 मिलयन टन वार्षिक	साधारण शर्त लागू होगी
	· · ·	उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य	स्थोरा की उठाई-धराई की	
	· · · ·	बंदरगाह से मिन्न)	क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में	
			≥ 10,000 टन वार्षिक	
			मछली पकडने की क्षमता	
7(च)	राजमार्ग	 नए राष्ट्रीय राजमार्गः और 	1) नए राज्य राजमार्गः और	साधारण शर्त लागू होगी
		2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के	2) 30 कि.मी. से ज्यादा	
		राष्ट्रीय राजमार्गौ का विस्तार जिनमें	लंबे राष्ट्रीय /राज्य	
		मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि	राजमागौँ का विस्तार जिनमें	
	↓ ·	अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और	मार्ग के दोनों और अतिरिक्त	ļ
		एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं।	भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से	
÷ *			ज्यादा है ।	
7(छ)	आकाशी यात्री रज्जुमार्ग		सभी परियोजनाएँ	साधारण शर्त लागू होगी
7(ज)	सामान्य स्नाव उपचार		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
	संयंत्र (स.स्र.उ.सं.)	•		
7(झ)	नगरपालिका ठोस		सभी परियोजनाए	साधारण शर्त लागू होगी
	अपशिट प्रबंधन सुविधा			
	(स.नअ.प्र.स.)			
8	·	भवन/ संनिमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विका	स परियोजनाएं और राहरीकरण	t
8(क)	भवन एवं संनिर्माण		≥ 20000 वर्ग मी. के	# आवृत संनिर्माण के
· .	परियोजनाएं		निर्मित क्षेत्र और <	लिए निर्मित क्षेत्र आकाश
	· ·		1,50,000 वग मीटर के	की ओर खुली सुविधाओं की
			निर्मित क्षेत्र #	दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		भी होगा।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास		≥50है0, क्षेत्र को	++ 8 (ख) के अंतर्गत समी
	परियोजनाएं		सम्मिलित करते हुए और या	परियोजनाओं को ख 1 प्रवर्ग
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	के अनुसार निबंधित किया
1				जाएगा।
	นเหลางา เข		साम्मालत करत हुए आर या निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000 वर्ग मीटर ++	के अनुसार निबंधित

टिप्पण

'साधारण शर्त (सा.श.)

प्रवर्ग ''ख'' में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग ''क '' माना जाएगा, यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान **की गई है; (iii) प**रिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है ; और (iv) अंतरराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप में अवस्थित है ।

विनिर्विष्ट शर्त (वि.श.)

यदि कोई मद 4(घ), 4(च), 5(इ), 5(च) जैसी समयुग्म की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा/कांप्लेक्स/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमझ परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियों वाले उद्योग (आवश्यक नहीं कि वे समयुग्म हों) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/कांप्लेक्सों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कांप्लेक्सों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कांप्लेक्स/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/कांप्लेक्सों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमता सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिसे कांप्लेक्स/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा) ।

[सं. जे-11013/56/2004-आईए-II(I)] आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट -I (पैरा 6 देखे) प्ररूप 1

(1) आधारभूत जानकारी

परियोजना का नाम :

विचाराधीन अनुकल्पी अवस्थिति/स्थान :

परियोजना का आकार * :

परियोजना की प्राक्कलित लागत

संपर्क जानकारी :

संवीक्षा प्रवर्ग :

 अंचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा क्षेत्र और उत्पादन क्षमता, खनिज पूर्वेक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता)

(॥) क्रियाकलाप

 परियोजना का संनिर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि)

क्र.स.	जानकरी/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	उनके ब्यौरे
· · ·		,	(लगभग
			मात्रा/दरों,
)			सहित, जो
			संभव हो,
		(सहित) आंकड़ों
			की जानकारी के
			स्रोत सहित ।
1.1	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी		
: :	या अस्थायी जिसमें भूमि उपयोग की मात्रा(स्थानीय		
	भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित		
	(き)		
1.2	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों की अनापत्ति		
1.3	नई भूमि उपयोगों का सृजन		
1.4	संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात बोर, गृह, मिट्टी का		
	परिक्षण करना		
1.5	संनिर्माण कार्य	·	
1.6	विध्वंस कार्य		

भारत का राजपत्र : असाधारण

<u>17</u>

<u>1-9-0 7(11)</u>			
1.7	संनिर्माण कार्य या सनिर्माण कर्मकारों के घर के	}	
:	प्रबंध के लिए जपयोग किए गए अख्यायी स्थल		
1.8	उपर्युक्त मू-भवन, संरचनाएँ या धुरस जिसमें		
	अनुरेखीय संस्वनाएं, काटनी और भेषना या खुवाई भी	•	
	समिमितित है।		
1.9	भूमिगत कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना भी		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	सम्मिलित है ।		
1.10	भूमि उद्धार कार्य		
1.11	तलकर्षक		
1.12	अपतुष्ट संस्वनाएं		
1.13	उत्पादन और बिनिमीण प्रक्रियाई		
1.14	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाए		
1:15	ठौस अपशिष्ट या तरल बहिःखावों के उपचार या		
	निपटान के लिए सुविधाएँ		
1.16	परिचालन कर्मकारों के दीधवगतिक घर का प्रबंध के		
	लिए सुविधाएँ		
1.17	संनिर्माण या प्रचालन के दौराने नई सड़क, रेल या		
	समुद्री यातायात		·
1.18	नई सड़क, रेल, वायु जल वाहिन या अन्य परिवहन		
	अवसंख्यना जिसमें नए या परिवर्तित मॉर्ग और		
	स्टेंशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मितित है ।	· _ ·	
1.19	विद्यमान परिवहन मांगी को बंद करना या अपवर्तन		
i ·	या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रेमुख		
	अवसंरचना		
1.20	नई या अपवर्तित प्रेषण लाईने या माइपलाइने		
1.21	अवरूद्ध करना. बांध बनाना, पुलिया बनाना,		·
	पुनःरेखांकन था जलमागौँ या एक्वीकरौँ के जेल		
	विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन		
1.22	प्रवाह पार		·
1.23	भूजल या भूतल से जल का अंतरण या पृथक्करण		
1.24	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वालें		_
	जलनिष्पादों या भूमि स्तर में परिवर्तन		
1.25	संनिर्माण, परिचालन या न निकालने के लिए कार्मिक		
	या सामग्रियों का परिवहन		
1.26	दीर्घकालिक रूप मे तोड़ना, प्रारंभ करना या कार्य		· · ·
	पुनः आरंभ करना ।	·	
1.27	आंश्म के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण		
	पर समाघात कर सकेंगे ।		
1.28	जमता का किसी क्षेत्र के लिएं या तो अस्थायी रूप	}	
	से या स्थायी रूप से आना ।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
1.29	अन्य देशीय प्रजातियों का आना		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.30	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की		
1	हानि		·
1.31	अन्य कोई कार्रवाईयां		

2. परियोजना के संनिर्माण या प्रचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग(जैसे भूमि, जल सामग्री या ऊर्जा विशेष रूप से ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं हैं या जिसका प्रदाय कम है)

क्र.सं.	सूवना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत संहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों संहित, जहां कहीं संभव हो)
2.1	विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि (हे0)		
2.2	जल (अनुमानित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई ! के.एल.डी.		
2.3	खनिज (एम.टी.)	·••	
2.4	संनिर्माण सामग्री पत्थर औसत, बालू/मृदा (अनुमानित स्रोत एम.टी.)		
2.5	वन और इमारती लकड़ी (स्रोत - एम.टी.)		
2.6	रूजी जिसके अंतर्गत विद्युत और ईंधन (स्रोत, प्रतियोग) उपयोगकर्ता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ऊजी (एम.डब्ल्यू)		
2.7	कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (समुचित मानक इकाइयो की उपयोग करें)		

3. पंतार्थों या सामग्रियों का उपयोग मंडारण, परिवहन, <mark>उठाई धेश</mark>ई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिनके मानव स्वास्थ्य की जोखिम की वास्तिविकता के बारे में यिंताएं उठती हैं ।

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
3.1	पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोस, फोना और जल प्रदाय के लिए परिसंकटमय) (एम.एस.आई.एव.सी. नियमों के अनुसार) हैं		
3.2	रोग के होने में परिवर्तन या रोग वाहकों के रौग का प्रभाव (उदहरणार्थ कीट या जल-जन्य रोग)		
3,3	लोगों के कल्थाण पर प्रभाव उदहरणार्थ जीवेंम दशाओं में परिवर्तन करके		
3.4	लोगों के संवेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं		
3.5	कोई अन्य कारण		

4. निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान ठोस अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मास)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत
· .		}	सहित उनके ब्यौरे
			(लगभग मात्राओं/दर्शे
			सहित, जहां कहीं संभव
			हो)
4.1	मृदा, अधिक भार या खान अपशिष्ट		
4.2	नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और या वाणिज्यिक अपशिष्ट)		
4.3	परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंध तंत्र नियमों		
	के अनुसार)	· ·	
4.4	अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.5	अधिशेष उत्पाद	-	
4.6	मल बही-स्नाव उपचार से मल गाद या अन्य गाद	╃╌╴ <u>┈╶</u> ═╴╴╴╸╼╺╼╼┶ _{┷╍} ╸ ┆	~
4.7	निर्माण या दाये गए अपशिष्ट	İ	
4.8	बेकार मशीनरी या उपस्कर		
4.9	संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां	+	
4.10	कृषि अपशिष्ट	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
4.11	अन्य ठोस अपशिष्ट	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

5. वायु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विषेले या जहरीले भदार्थों का विसर्जन

क्र.स.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/ नहीं	सूचन; आंकड़ों को स्रोत सद्धिर, उनके ब्यौरे (लगभग माजानॉ/दरों सहित, जहां कहरं राभव हो)
5.5	लेखन सामग्री या चल संसाधनों से जीवाय्न ईंधनों के दहन		
	से उत्सर्जन		
5.2	उत्पादन प्रकियाओं से उत्सर्जन		
5.3	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है, उत्सर्जन		
5.4	निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपरकर भी हैं, उत्सर्जन		
5.5	सामयियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अधशिष्ट भी हैं, धूल या गंध		
5.6	अपशिष्ट के भस्मीकरण से उतर तेन		
57	खुली वायु में अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ सरेश जामग्री, निर्माण सामग्री का डेर)	n han an a	
58	किन्ही अन्य स्रोतों से उत्प्रजन	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

शोर और कॅपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
6.1	उपस्कर के प्रचालन से उदाहरणार्थ ईंजन, वातायन संयंत्र, संदलनित्र		
6.2	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से		
6.3	निर्माण या ढहाने से	<u> </u>	
6.4	विस्फोटन या पाइलिंग से	 	
6.5	निर्माण या प्रचालन संबंधी यातायात से	f	
6.6	प्रकाशन या प्रशीतन प्रणालियों से	<u> </u>	
6.7	किन्हीं अन्य संसाधनों से		

7. भूमि या मल नालियों, सतही जल, भूमिगत जल, तटीय जल या समुद्र में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दर्शे सहित, जहां कहीं संभव हो)
7.1	परिसंकटमय सामग्री की उठाई धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से	,	
7.2	जल या भूमि में (अनुमानित ढंग और विसर्जन का स्थान) मल या अन्य बही स्नावों के विसर्जन से		
7.3	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से		
7.4	किन्हीं अन्य संसाधनों से	1	
7.5	क्या इन संसाधनों से पर्यावरण में प्रदूषकों के जमा होने से दीर्घकालिक जोखिम है ?		

8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुईटनाओं का जोखिम जो मानव स्वाख्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
8.1	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग, भंडारण, उठाई धराई या उत्पादन से		
8.2	किन्हीं अन्य कारणों से		
8.3	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-सखलन, वृष्टिस्फोट आदि) ?		

9. बातें जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों को करने के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थवान हैं

क्र.स.	म्ममा/जांच सूची पुष्टीकरण भूर प	हां/नहीं	सूचना आंकर्ड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
9.1	जिसके कारण आधार का विकास, सहायक विकास या परियोजना द्वास विकास को बल मिलता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् • आधारिक अवसंरचना (सड़कें, बिजली प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि) • आवासन विकास • निष्कर्षित उद्योग • पूर्ति उद्योग • अन्य		
9.2	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग सेता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है		
9.3	पश्चात्वती विकासों के लिए उदाहरण स्थापित करना		
9.4	सामिप्य के कारण अन्य विद्यमान परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव हैं या उसी प्रकार के प्रभावों सहित नियोजित परियोजनाएं		

(III) पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्र.सं.	क्षेत्र	नाम/पहचान	आकाशी दूरी (15 किलोमीटर के भीतर) प्रस्तावित परियोजना अवस्थान सीमा
1.	उनके पारिस्थितिक भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अधीन संरक्षित क्षेत्र ।		
2.	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं - वेट लैड्स, जल स्रोत या अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय जोन, बायोस्फीयर, पहाड़ियां, वन		
3.	क्षेत्र जो प्रजनन, घोसला बनाने, चारे के लिए, आराम करने के लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए फ्लोरा और फोना के संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं		
4.	अंतरदेशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल		······································

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं	
6.	मनोरंजन की या अन्य पर्यटक/यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के	
	लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएं	
7.	रक्षा प्रतिष्ठापन	
8.	सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र	
9;	संवेदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोगों के अधिभोगाधीन क्षेत्र	
	अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं	
1D.	महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत	
	जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग,	
	पर्यटन, खनिज)	
11.	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अधीन हैं	
	(वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते है)	
12.	क्षेत्र जहां प्राकृतिक संकट हो सकता है जो वर्तमान पर्यावरणीय	 ·····
	समस्याओं की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं (धंसना,	
	भूरखलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल वातावरणीय	
	दशाएं)	j

परिशिष्ट 2

(पैरा 6 देखे)

प्ररूप 1क (केवल अनुसूची की मद 8 के अधीन सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए)

पर्यावरणीग प्रभावों की जांच सूची

(पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित परियोजना सलाहकार और जहां कही आवश्यक हो प्ररूप के साथ स्पन्टीकारक टिप्पण संलग्न करें तथा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधतंत्र योजना और मानिटरी कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत करें)

1. भूमि पर्यावरण

(परियोजना स्थल और आसपास का विशाल दृश्य रांलग्न करें)

1.1 क्या विद्यमान भूमि के उपयोग में परियोजना से सारवान रूप से परिवर्तन किया जाएगा जो वातावरण आसपास से संगत नहीं है ? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित मास्टर प्लान/विकार योजना क अमुरूप होना चाहिए । भूमि उपयोग में परिवर्तन यदि कोई हो और सक्षम प्राधिकारी से कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए) । (i) स्थल अवस्थान, (ii) प्रस्तावित स्थल (पांच सौ मीटर के भीतर आसपास के लक्ष्णों) और (iii) रामुधित मापमान के स्थल (स्तर और समोच्च रेखा उपदर्शित करते हुए) के नक्शे सिलगन करें । यदि उपलब्ध नहीं हो जो केवल अक्धाराणा युक्त योजना संलगन करें ।

1.2 भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, जल उपभोग, विद्युत अपेक्षा, संयोजकता, सामुन्द्रावेक सुविधाले वर्गतेल आवश्यकर्हाओं आदि के अनुसार सभी यडी परियोजना की आवश्यकताओं को रोपीबज्र लोग

1.3 प्रस्तावित स्थल से संलग्न विद्यमण्ड सुविधाओं पर प्रस्ताबित क्रियाकडता के राष्ट्रीय प्रसाव तथ है ? (तस खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाएं, विधागत भूमि उपयोग के ब्यौरे, स्थलीय पारिस्थिति का त्यां के स्वारे स्थलीय पारिस्थिति का त्यां के स्वारं के स्वारं के स्वारं स्थलीय पारिस्थिति का त्यां के स्वारं के स्वारं स्थलीय पारिस्थिति का त्यां के स्वारं स्थलीय पारिस्थिति का त्यां के स्वारं स्थलीय पारिस्थिति का त्यां के स्वारं स्थलीय स्वारं स्थलीय पारिस्थिति का त्यां के स्वारं स्थलीय स्थलीय पारिस्थिति का त्यां के स्वारं के स्वारं स्थलीय स्थलीय स्वारं स्थलीय स्वारं स्थलीय स्वारं के स्वारं स्थलीय स्वारं स्थलीय स्वारं स्थलीय स्वारं स्वारं के स्वारं स्थलीय स्वारं स्थलीय स्वारं स्थलीय स्वारं स्थलीय स्वारं स्थलीय स्वारं स्वारं स्थिति का त्यां के स्वारं स्वारं स्वारं स्वारं स्वारं स्थलीय स्वारं स्वारं स्वारं स्वारं स्वारं स्वारं स्वारं स्वारं स्वारं स्वित्व स्वारं स्व स्वारं स्वार स्वारं स

1.4 क्या किसी महत्वपूर्ण भूगि विचल के परिणामस्वरूप भूरखतन, भूति, कटाद अंग किस्टा तो ताला का किस्म, ढाल विश्लेषण, भूमि कटाद की संवेदनशीलता, भूकंपन आदि के व्यौरे दिए जार्यु

1.5 क्या प्राकृतिक मल निकास प्रणाली के प**श्चिर्तन से संबंधित प्रस्ताव है** ? (प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट प्राकृतिक मल निकासी को दर्शित करते हुए किसी समोच्च नक्शे के ब्यौरे दें)

1.6 निर्माण क्रियाकलाप — कर्तन, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वलित भूमि कार्य की मात्राएं क्या हैं ? (अंर्तवलित भूमि कार्य, स्थल आदि के बाहर से सामग्री भरने के परिवहन के ब्यौरे दें)

1.7 निर्माण अवधि के दौरान जल प्रदाय अपशिष्ट उठाई धराई आदि के संबंध में ब्यौरे दें |

1.8 क्या नीचे के क्षेत्रों और वेट लैंडस में परिवर्तन होंगे ? (वह ब्यौरे दें कि किस प्रकार निचले क्षेत्र और वेट लैंडस प्रस्तावित क्रियाकलापों से उपांतरित हो रहे हैं)

1.9 क्या निर्माण के'दौरान निर्माण के कूंका करकट और अपशिष्ट से स्वास्थ्य को खतरा होगा ? (निर्माण के दौरान जिसके अंतर्गत निर्माण श्रम और व्ययन की युक्तियां भी हैं, जनित अपशिष्टों की विभिन्न किरमों की मात्राएं दें ।)

2. जल पर्यावरण

2.1 विभिन्न उपयोगों की अपेक्षाओं के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना के लिए जल अपेक्षा की कुल मात्रा दें 1 जल अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी 1 स्रोतों और मात्राओं का कथन करें तथा एक जल अतिशेष विवरण दें 1

2.2 जल के प्रस्तावित स्रोत की क्षमता क्या है ? (बहाव या प्राप्ति के आधार पर)

2.3 अपेक्षित जल की क्वालिटी क्या है यदि पूर्ति किसी नगर पालिक स्रोत से नहीं है ? (जल की क्वालिटी के वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक, जैव वैज्ञानिक लक्षणों को दर्शित करें)

2.4 कितनी जल अपेक्षा की उपचारित बेकार जल के पुनः चक्रण से पूर्ति हो सकती है ? (मात्राओं, स्रोतों और उपयोगिताओं के ब्यौरे दें ।)

2.5 क्या अन्य उपयोक्ताओं से जल का उपयोजन होगा ? (कृपया अन्य विद्यमान उपयोगों और उपभोग की मात्राओं पर परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करें)

2.6 प्रस्तावित क्रियाकलाफों से प्राप्त बेकार जल से प्रदूषण के भार में क्या वृद्धि है ? (प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल की मात्राओं और संघटन के ब्यौरे दें)

2.7 जल अपेंक्षाओं की जल संचयन से हुई पूर्ति के ब्यौरे दें । सुजित सुविधाओं के ब्यौरें प्रस्तुत करें ।

2.8 दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरण के पश्चात क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के लक्ष्णों (मात्रात्मकता के साथ-साथ क्वालिटी भी) के कारण भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा ? क्या इससे बाढ या जल के जमा होने की किसी रूप में समस्या में वृद्धि होगी ?

2.9 भूमिगत जल पर प्रस्ताव के क्या प्रभाव होंगे ? (क्या भूमिगत जल में नल लगाया जाएगा ; भूमिगत जल की सारणी, पुनः प्रभारण क्षमता और सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमोदन यदि कोई हों के ब्यौरे दें)

2.10 भूमि और पनिलों को प्रदूषित करने वाले निर्माण क्रियाकलाथ से बच होने को संकर्न के लिए क्या सावधानियां/कदम उठाए जाने हैं ? (प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए मात्राओं और अपनाए जाने वाले उपायों के ब्यौरे दें) 2.11 स्थल के भीतर किस प्रकार तेज जल की व्यवस्था की जाएगी ? (क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए किए गए उपबंध, समोच्च स्तरों के उपदर्शन के स्थल अभिन्यास सहित उपलब्ध कराई गई जल निकासी सुविधाओं के ब्यौरे का कथन करें)

2.12 क्या आवश्यक अवधि में विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लगाए जाने से परियोजना स्थल के आसपास अस्वच्छता दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं ? (उचित स्पष्टीकरण से न्यायोचित ठहराएं)

2.13 स्थल सुविधाओं पर संग्रहण, उपचार और जल निकासी के सुरक्षित व्ययन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है ? (पुनःचक्रण और व्ययन के लिए प्रोद्योगिकी और सुविधओं सहित जनन, उपचार क्षमताओं की, चाहे जैसी हों मात्राओं के ब्यौरे दें)

2.14 दोहरी नलसाजी प्रणाली के ब्यौरे दें यदि उपयोग किए गए उपचारित अपशिष्ट का प्रसाधनों को बहाने या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है ।

3 वनस्पति

3.1 क्या जैवविविधता पर परियोजना का कोई खतरा है ? (स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली का उसकी विशिष्ट बातों सहित यदि कोई हों वर्णन करें)

3.2 क्या निर्माण में वनस्पति की विस्तृत निकासी या उपांतरण अंतर्वलित है ? (परियोजना द्वारा प्रभावित वृक्षों और वनस्पति का विस्तृत लेखा जोखा दें)

3.3 महत्वपूर्ण स्थल की बातों पर प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ? (किसी समुचित मापमान कि किसी अभिन्यास योजना सहित वृक्षारोपण, भूदृश्य, जल निकायों आदि के सृजन के प्रस्ताव के ब्यौरे दें)

जीव जन्तु

4.1 क्या जीव जन्तुओं, स्थलीय और जलीय रूप से किसी प्रकार हटाने या उनके चलने फिरने के लिए रूकावटें होने की संभावना है ? ब्यौरे दें ।

4.2 क्षेत्र के जीव जन्तुओं पर क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं ? ब्यौरे दें |

4.3 जीवजन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कारीडोर, मछली सीड़ियों आदि जैसे उपाय विहित करें ।

5. वायु पर्यावरण

5.1 क्या परियोजना से द्वीपों में गैसों के वायुमंडलीय सांद्रण में वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप ऊष्मा बढ़ेगी ? (प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप वर्धित यातायात बढ़ने को ध्यान में रखते हुए विक्षेपण आदर्शों पर आधारित अनुमानित मूल्यों सहित पृष्ठभूमि वायु क्वालिटी स्तरों के ब्यौरे दें)

5.2 धूल, जहरीली वाष्पों या अन्य परिसंकटमय गैसों के बनने पर क्या प्रभाव हैं ? सभी मौसम विज्ञान परिमापों के संबंध में ब्यौरे दें ।

5.3 क्या प्रस्ताव से यानों को पार्क करने के स्थल में कमी आएगी ? परिवहन अवसंरचना और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों के, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल के प्रवेश और निर्गम पर यातायात व्यवस्था भी है, विद्यमान स्तर के ब्यौरे दें । 5.4 प्रतिक प्रवर्ग के अधीन क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों, बाइसिकिल मार्गों, पैदल यात्री मार्गों, पैदल मार्गों आदि पर चलने के वैद्यनी के ब्यीरे दें ।

5.5 क्यों यातायात शोर और कंपन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ? ऊपर वर्णित बातों को कम करने के लिए स्रोतों और प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे दें।

5.6 परियोजमा स्थल के आसपास शोर सारी और कंपन तथा घिरी हुई वायु की क्वालिटी पर डीजी सेटों और अन्य उपस्करों पर क्या प्रभाव होगा ? ब्यौरे दें ।

6. सीन्दर्यबौद्धी

6.1 क्या प्रस्ताबित निर्माणों के परिणामस्वरूप किसी दृश्य, दृश्यसुविधा या भूदृश्य में रूकावट होगी ? क्या प्रस्तावको ने इन बातों पर विचार कर लिया है ?

6.2 क्या विद्यमान परिनिर्माणौ पर नए निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा ? किन बातों को ध्यान में रखा गया हे ?

6.3 क्या डिजाइन मापमान को प्रभावित करने वाले शहर रूपी या शहरी डिजाइनों का कोई स्थानीय आकलन है ? उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है ।

6.4 क्या कोई मानव विज्ञान संबंधी या पुरातत्वीय स्थल या बाह्य चीजें आसपास में हैं ? कथन करें यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसपर प्रस्तावित स्थल के पश्चित्र में होने पर विचार किया गया है ।

7 सामाजिक - आधिक पहेल्

7.1 क्या प्रस्ताव के परिणास्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माणों में कोई परिवर्तन होगा ? ब्यौरे व ।

7.2 प्रसावित परियोजमा के आसपास विद्यमान सामाजिक अवसंरचना के ब्यौरे दें |

7.3 क्या परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकृत प्रभाव, पवित्र स्थलों या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों में विघन पड़ेगा ? प्रस्तावित सुरक्षापाय क्या है ?

8 निर्माण सामग्री

8.1 अधिक ऊर्जा संहित निर्माण सामग्री का उपयोग हो सकेगा । क्या ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं सहित निर्माण सामग्री उत्पादित की जाती है ? (निर्माण सामग्री और उनकी ऊर्जा दक्षता का चयन करने में ऊर्जा संरक्षण उपायों के ब्यौरे दें)

8.2 निर्माण के दौरान सामग्री का परिवहन और उठाई धराई के कारण प्रदूषण, शोर और लोक अशान्ति हो सकती है । इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

8.3 क्या सड़कों और ढ़ाचों में पुनः चक्रित सामग्री उपयोग की जाती है ? की गई बचतों की सीमा का कथन करें ?

8.4 परियोजना के प्रचालन संबंधी चरणों के दौरान हुए कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और व्ययन की पद्वति के ब्यौरे दें ।

2900 GI/2006-4

9 ऊर्जा संरक्षण

9.1 विद्युत अपेक्षा प्रदाय के स्रोत, स्रोत आदि की पृष्ठभूमि आदि के ब्यौरे दें । निर्मित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट ऊर्जा खात कितनी है ? ऊर्जा खपत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

9.2 विद्युत की पृष्ठभूमि की किरम और क्षमता, जिसको देने की आपकी योजना है, क्या है ?

9.3 उपयोग किए जाने वाले कांच के अभिलक्षण क्या हैं ? शार्ट वेव और लांग वेव विकिरण दोनों से संबंधित उसके अभिलक्षणों के निर्देश दें ।

9.4 भवन में कौन से अप्रत्यक्ष सौर वास्तविक कारक उपयोग किए जा रहे हैं ? प्रस्तावित परियोजना में किए गए उपयोजन को स्पष्ट करें ।

9.5 क्या गलियों और भवनों के अभिन्यास सौर ऊर्जा युक्तियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं ? क्या आपने भवन कम्प्लैक्स में उपयोग के लिए सड़क प्रकाशन आपात प्रकाशन और सौर तप्त जल प्रणालियों के उपयोग पर विचार कर लिया है ? ब्यौरों का सार दें ।

9.6 क्या प्रशीतन/तापन भार को कम करने के लिए शेडिंग का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है ? पूर्व और पश्चिम की दीवारों और छत पर रोडिंग को अधिकतम करने के लिए उपयोग करने के सिद्धांत क्या हैं ?

9.7 क्या परिनिर्माणों में ऊर्जा दक्ष रथल शीतन, प्रकाशन और यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है ? तकनीकी ब्यौरे दें । ट्रांसफार्मरों और मोटर दक्षता प्रकाशन तीव्रता और वायु प्रशीतन भार धारणाओं के ब्यौरे दें । क्या आप सीएफसी एचसीएफसी फ्री चिलर्स का उपयोग कर रहे हैं ? विनिर्देश दें ।

9.8 सूक्ष्म जलवायु के परिवर्तन में भवन क्रियाकलापों के संभावित प्रभाव क्या हैं ? तप्त द्वीप और प्रतीपन प्रभावों के सुजन पर प्रस्तावित निर्माण के संभावित प्रभावों पर स्वतः निर्धारण का उल्लेख करें ।

9.9 भवन आहाते के तापीय अभिलक्षण क्या हैं ? (क) छत ; (ख) बाहय दीवारें ; और (ग) झरोखे ? उपयोग की गई सामग्री और व्यष्टिक संघटकों के यू मूल्यों या आर मूल्यों के ब्यौरे दें ।

9.10 अग्नि संकट के लिए प्रस्तावित सावधानियां और सुरक्षा उपाय क्या है ? आपात योजनाओं के ब्यौरे दें ।

9.11 दिवाल सामग्री के रूप में यदि कांच का उपयोग किया जाता है तो व्यौरे और विनिर्देश जिसके अंतर्गत उत्सर्जनता और तापीय अभिलक्षण भी हैं, दें ।

9.12 भवन में वायू प्रवेशन की दर क्या है ? प्रवेशन के प्रभावों को कैसे कम कर रहे हैं, उसके ब्यौरे दें |

9.13 समग्र ऊर्जा खपत में अपारंपरिक ऊर्जा प्रोद्योगिकियों का किसी सीमा तक उपयोग किया जाता है ? उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रोद्योगिकियों के ब्यौरे दें ।

10 पर्यावरण प्रवध योजना

पर्यावरण प्रबंध योजना में, निर्माण, प्रचालन और परियोजना के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए समस्त जीवन चक्र के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रत्येक मदबार के लिए सभी न्यूनतम करने वाले उपाय अंतर्विष्ट होंगे । इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मानिटरी योजना का आलेखन भी होगा । आपात की दशा में, जैसे स्थल पर दुर्घटना जिसके अंतर्गत आग लगना भी है, उडाए जाने वाले कदमों का कथन भी होगा ।

परिशष्ट 3 (पैरा 7 देखे)

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण दस्तावेज की साधारण संरचना

क्र.स	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्राक्कथन	• रिपोर्ट का प्रयोजन
		• परियोजना और परियोजना प्रस्तावक की पहचान
		 परियोजना की प्रकृति, आकार, अवस्थान का संक्षिप्त वर्णन और देश,
		प्रदेश में इसका महत्व
		 अध्ययन का विस्तार — किए गए विनियामक विस्तार के ब्यौरे (सौंपे गए कृत्यों के अनुसार)
2.	परियोजना वर्णन	 परियोजना के उन पहलुओं का संघनित वर्णन (परियोजना साध्यता अध्ययन पर आधारित) जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कारित करने की
		संभावना है । निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए ब्यौरे उपबंधित
		किए जाने चाहिए :
ĺ		• परियोजना के किस्म
		• परियोजना की आवश्यकता
-		 अवस्थान (साधारण अवस्थान, विनिर्दिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास को दर्शित करते हुए नक्शे)
.		 प्रचालन का आकार या विस्तार (जिसके अंतर्गत परियोजना द्वारा या उसके लिए अपेक्षित सहयोजित क्रियाकलाप)
	٦	 अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुसूची
		 प्रोद्योगिकी और प्रक्रिया वर्णन
		 परियोजना वर्णन, जिसके अंतर्गत परियोजना अभिन्यास, परियोजना आदि के संघटकों को दर्शित करते हुए आरेखन । साध्यता आरेखनों के स्कीमबद्ध प्रतिनिधित्व जो ईआईए परियोजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दें ।
		 पर्यावरणीय मानकों, पर्यावरणीय प्रचालन दशाओं या अन्य ईआईए अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परियोजनाओं में सम्मिलित न्यूनिकरण उपायों का वर्णन (विस्तार द्वारा यथाअपेक्षित)
		 प्रोद्योगिकीय असफलता के जोखिम के लिए नई और अपरीक्षित प्रोद्योगिकी का निर्धारण
3.	पर्यावरण का वर्णन	 अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक और पद्वति
		 विस्तार में पहचान किए गए मूल्यवान पर्यावरणीय संघटकों के लिए आधारिक लेखा की स्थापना
		 सभी पर्यावरणीय संघटकों के आधार नक्शे
4.	अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय	 परियोजना अवस्थान, संभावित दुर्घटनाओं, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालनों, पूरी की गई परियोजना को अंतिम रूप से बंद करना या पुर्नस्थापन के कारण अन्वेषित पर्यावरणीय समाघातों के ब्यौरे ।
		 पहचान किए गए प्रतिकूल समाधातों न्यूनिकृत और/या दूर करने के लिए उपाय
		 पर्यावरणीय संघटकों के असंपरिवर्तनीय और पुनः प्राप्त न किए जा सकने वाले आश्वासन ।

	THE G	AZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II-Sec.]
		 समाघातों के महत्व का निर्धारण (महत्व महत्व निर्धारण का अवधारणा करने के लिए मानदण्ड)
5.	अनुकल्पियों का विश्लेषण (प्रोद्योगिकी और स्थल)	 न्यूनीकरण उपाय यदि विस्तारित करने के कार्य के परिणामस्वरूप अनुकल्पियों की आवश्यकता होती है : प्रत्येक अनुकल्पी का वर्णन प्रत्येक अनुकल्पी के प्रतिकूल समाघातों का सार प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय और
6.	पर्यावरणीय मानिटरी कार्यक्रम	 अनुकल्पी का चयन न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पद्धति, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण, रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और उपापन अनुसूचियां भी है)
7.	अतिरिक्त अध्ययन	 लोक परामर्श जोखिम निर्धारण सामाजिक समाघात निर्धारण आर और आर अनुवर्ती योजनाएं
8.	परियोजना के फायदे	 भौतिक अवसंरचना में सुधार सामाजिक अवसंरचना में सुधार नियोजन क्षमता - कुशल ; अर्धकुशल और अकुशल अन्य मूर्त फायदे
9.	पर्यावरणीय लागत फायदा विश्लेक्षण	यदि विस्तारण प्रक्रम पर सिफारिश की जाती है।
10:	ईएमपी	 यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनीकरण संबंधी उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और ईआईए के अनुमोदन के पश्चात् उनकी प्रभावी मानीटरी की गई है, प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन ।
11.	संक्षिप्त सार की निष्कर्ष (यह ईआईए निपोर्ट का संक्षिप्त सार होगा)	 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र औचित्य । यह स्पष्टीकरण कि प्रतिकूल प्रभाव किस प्रंकार कम किए जाते हैं
12.	नियोजित परामर्शियों का	 उनके संक्षिप्त कार्य और दिए गए परामर्श की प्रकृति सहित नियोजित किए गए परामर्शियों के नाम.

(पैरा 7 देखे)

संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अंर्तघस्तु

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संक्षिप्त सार अधिकतम ए -4 आकार के दस पृष्ठों पर पूरी पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का एक संक्षिप्त सार होगा । इसमें संक्षेप में अनिवार्य रूप से पूर्ण पर्यावरणीय सगाघात निर्धारण रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय होने चाहिएं :-

(1) परियोजना वर्णन :

28

(2) पर्यावरण का वर्णन :

(3) अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय :

(4) पर्यावरणीय मानीटरी कार्यक्रम :

(5) अतिरिक्त अध्ययन :

(6) परियोजना के फायदे :

(7) पर्यावरण प्रबंधन योजना :

परिशिष्ट 4

(पैरा 7 देखिए)

लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध और पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।

2.0 प्रक्रिया ;

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के परे विस्तार है तो प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक) प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को प्रिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :

(क) जिला मजिस्ट्रेट

- (ख) जिला परिषद या नगर निगम
- (ग) जिला उद्योग कार्यालय
- (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेषिक कार्यालय

[PART II-SEC. 3(ii)]

2.3 उपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अपनी अधिकारिताओं के भीतर, उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे । पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार तत्परता से प्रदर्शित करेगा और दिल्ली स्थित मंत्रालय में सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी अधिसूचित स्थान पर निर्देश के लिए पूरे प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट को भी छपलब्ध करेगा ।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजमा की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या पंचायतों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों अर्थात् पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेद आदि को प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अतिरिक्त रूप से भी उपलब्ध कराएंगे ।

3.0 लोक सुनवाई की सूचना

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम से कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके ;

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेषिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ; 3.4 जगर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य-सचिव द्वारा लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और जगर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसुचित किया जाएगा ।

4.0 पैनल

जिला मजिस्ट्रेट या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।

5.0 वीडियोग्राफी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय वीडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

6.0 कार्यवाहियां

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।

6.4 स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लौक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़ कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा । 6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शित भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यवातः मेजी जा सकेगी ।

7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि :

7.1 लोक सुनवाई, आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के मीतर पूरी की जाएगी । अतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को मैजेगी । आवेदक, लोक सुनवाई और लोक परामर्श के परचात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट या प्रास्त्र पर्यावरण सपाधात निर्धारण रिपोर्ट या प्रास्त्र की प्रती के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को तोक सुनवाई की कार्यवाहियों को मैजेगी । आवेदक, लोक सुनवाई और लोक परामर्श के परचात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट या प्रास्त्र पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट या प्रास्त्र पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।

7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासमं, राज्य पर्यावरणीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर, किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण क्रौ इस अधिबूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ।

परिशिष्ट 5

(पैरा 7 देखिए)

आंकलन के लिए विहित प्रक्रिया

 आवेदक, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए, जहां लोक परामर्श आज्ञापक है, एक सादा सूचना के माध्यम से आवेदन करेगा :-

- अंतिम पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट की बीस हार्ड प्रतियां और एक साफ्ट प्रति
- लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की वीडियो टेप की एक प्रति या सी.डी.
- अंतिम अभिन्यास योजना की बीस प्रतियां
- परियोजना साध्यता रिपोर्ट की एक प्रति

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कार्यालय में तत्परता से टीओआर के प्रतिनिर्देश से समीक्षा की जाएगी और ध्यान में रखी गई अपर्याप्तताओं को प्रत्येक अंतिम पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई कार्यवाहियां और प्राप्त की गई अन्य लोक प्रतिक्रियाएं भी हैं, प्ररूप 1 या प्ररूप 1क की एक प्रति और प्रस्तावों पर विच्चार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठकों के लिए निश्चित तारीखें सहित पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्यों को एकल सेट में इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा संसूचित किया जाएगा ।

3. जहां कोई लोक परामर्श् आज्ञापक नहीं है और इसलिए कोई औपचारिक पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन अपेक्षित नहीं है, वहां आंकलन, विहित आवेदन प्ररूप 1 के आधार पर और अनुसूची की मद 8 से मिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किसी पूर्व साध्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में, इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुएं, संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, प्ररूप 1, प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्ते नियत करेंगी । जब कभी आवेदक सभी अन्य आवश्यक कानूनी अनुमोदनों सहित निश्चित पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों को पूरा करते हुए अनुमोदित स्कीम/भवन योजना प्रस्तुत करता है तो पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, **सक्षम** प्राधिकारी को पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने की सिफारिश करेगी ।

4. प्रत्येक आवैवन, पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के समक्ष और इसका पूरा आंकलन, विहित रीति में अपेक्षित दस्तावेजों/ब्यौरों सहित इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर रखा जाएगा ।

5. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की निश्चित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचित किया जाएगा।

6. पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक के कार्यवृत्त को बैठक के पांच कार्यकरण दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । परियोजना या क्रियाकलापों को पर्यावरणीय अनापत्ति को मंजूर किए जाने के लिए सिफारिश की दशा में, कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षापायों और शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा । यदि सिफारिशें नामंजूर करने के लिए हैं तो उसके कारणों को भी स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा ।

परिशिष्ट 6

(पैरा 5 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए सेक्टर/परियोजना विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ आंवलन समिति और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों की संरचना

 विशेषज्ञ आंकलन समितियां और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां केवल निम्नलिखित पात्रसा कसौटी को पूरा करने वाले वृत्तिकों और विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी

वृत्तिक : ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम से कम (i) एम.ए./एम.एस.सी डिग्री सहित संबंधित विद्या शाखा में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या (ii) इंजीनयरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुविद विद्या शाखाओं की दशा में, बी.टेक/बी.ई./बी.आर्क. डिग्री सहित क्षेत्र में विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित किसी वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में चार वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण या (iii) अन्य वृत्तिक डिग्री (जैसे विधि) जिसमें पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित है, या (iv) विहित शिक्षुता/कारीगारी तथा संबंधित वृत्तिक संगम द्वारा संचालित परिक्षाएं उत्तीर्ण की हो (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी) या (v) किसी विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी में दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण (जैसे एम.बी.ए./आई.ए.एस./आई.एफ.एस.) व्यष्टि वृत्तकों का चयन करते समय उनके द्वारा उनके क्षेत्रों में प्राप्त अनुमव को ध्यान में रखा जाएगा।

विशेषज्ञ : जगर पात्रता कसौटी को पूरा करने वाला कोई वृत्तिक जिसके पास क्षेत्र, में कम से कम पंद्रह वर्ष का सुसंगत अनुभव या संबंधित क्षेत्र में कोई उच्चतर डिग्री हो (जैसे पी.एच.डी. और कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव) ।

आयु : सत्तर वर्ष से नीचे । तथापि, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता/कमी की दशा में विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों की अधिकतम आयू को पचहतर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों/विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे । उस दशा में कि ''विशेषज्ञ'' की कसौटी को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा ।

 पर्यावरण क्वालिटी विशेषज्ञ : पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप/मानिटरी, विश्लेषण और निर्वचन में विशेषज्ञ । पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया विशेषज्ञ : पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भावी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों।

जोखिम निर्धारण विशेषज्ञ ।

• पेड़ - पौधे और जीव- जन्तु प्रबंधन में प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ ।

वन और वन्य जीव विशेषज्ञ ।

• परियोजना आंकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ।

3. पर्यावरणीय निर्धारण समिति की सदस्यता पंद्रह नियमित सदस्यों से अधिक की नहीं होगी । तथापि, अध्यक्ष, समिति की किसी विशिष्ट बैठक के लिए किसी सुसंगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ।

 अध्यक्ष, सुसंगत विकास क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और पर्यावरणीय निति या प्रबंधन में अथवा लोक प्रशासन में अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ होगा ।

5. अध्यक्ष, सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

6. पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि उसके सचिव के रूप में समिति की सहायता करेगा ।

7. , किसी सदस्य की अधिकतम पदावधि, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, प्रत्येक तीन वर्ष की दो पदावधि होगी ।
 8. अध्यक्ष/सदस्य को किसी कारण और समुचित जांच के बिना पदावधि के अवसान से पूर्व नहीं हटाया जा

सकेगा ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

S.O. 1533(E).—Whereas, a draft notification under Sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India¹, unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environment Policy as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006 and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union Territory Administration concerned under Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this aotification, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1324(E), dated the 15th September, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

¹Includes the territorial waters

2. Requirements of prior Environmental Clearance (EC):- The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

(i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;

(ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;

(iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1) A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member – Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

- (2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.
- (3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.
- (4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.
- (5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.
- (6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).
- (7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. Categorization of projects and activities:-

(i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification;

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, *will* require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project;

5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;

(b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitutes one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;

(d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;

(e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

ŝ

7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-

7(i) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

I. Stage (1) - Screening:

In case of Category 'B' projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity

requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project. The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

II. Stage (2) - Scoping:

"Scoping": refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of (i) Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form1/Form 1A including Terns of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All and activities listed as Category 'B' in Item 8 of the Schedule projects (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities .If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

III. Stage (3) - Public Consultation:

(i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

(a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).

÷		PART II—SEC. 3(1)
	(b)	all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.
	(c)	expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.
	(d)	all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).
	(e)	all Category 'B2' projects and activities.
	(f)	all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.
(ii)	The Pu	blic Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-
(a) mann	a public er presc	c hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the ribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;
		responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the l aspects of the project or activity.
(iii) by the		bublic hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted

(iii) by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five) of a request to the effect from the applicant.

(iv)in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days,.

If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to (v)the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which rnay, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake (vi) in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form, within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing. Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use

other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

IV. Stage (4) - Appraisal:

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application be shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days. The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V;

7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence

2900 GI/2006-6 A

necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be applaised accordingly for grant of environmental clearance.

8. Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):

(i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.

(ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.

(iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.

(v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

(vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

2900 GI/2006-6B

9. Validity of Environmental Clearance (EC):

The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item I(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant - within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

10. Post Environmental Clearance Monitoring:

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1^{st} June and 1^{st} December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

11. Transferability of Environmental Clearance (EC):

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I, or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit	Conditions if any			
	····	A	<u>B</u>			
1		Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1(a)	Mining of minerals	≥ 50 ha. of mining lease area Asbestos mining irrespective of mining area	<50 ha ≥ 5 ha .of mining lease area.	General Condition shall apply <u>Note</u> Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey		
I(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		Note Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey		
1(c)	River Valley projects	 (i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area 	MW hydroelectric			
I(d)	Thermal Power Plants	 ≥ 500 MW (coal/lignite/naphta & gas based); ≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -) 	(coal/lignite/naptha &			

ł.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects		
2			Primary Processing	
2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	<1 million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply
				(If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2 (b)	Mineral beneficiation	\geq 0.1 million ton/annum mineral throughput	< 0.1million ton/annum mineral throughput	General Condition shall apply
				(Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for
·				grant of clearance)
`				

3	× }	Materials Production		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	a)Primary metallurgical industry		
-	a non renousy	All projects		
		b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD	Sponge iron manufacturing <200TPD	General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing
	-	c)Secondary metallurgical processing industry	Secondary metallurgical processing industry	
		All toxic and heavy metal producing units ≥ 20,000 tonnes /annum	i.)All toxic andheavymetal producing units <20,000 tonnes /annum	
			ii.)All other non -toxic secondary metallurgical processing industries >5000 tonnes/annum	
			>5000 tonnes/annum	
3(b)	Cement plants	≥ i.0 million tonnes/annum production capacity	<1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units	General Condition shall apply

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

5

Materials Processing (3) (4) (1) (2) (5) 4(a) Petroleum refining All projects industry Coke oven plants <2,50,000 & 4(b) ≥2,50,000 tonnes/annum ≥25,000 tonnes/annum Asbestos milling All projects 4(c) and asbestos based products Chlor-alkali <300 Condition 4(d) TPD production Specific shall ≥300 TPD production industry canacity capacityor а unit apply located out side the and located within a notified industrial area/ notified industrial area/ No new Mercury Cell estate . estate based plants will bc existing permitted and units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification Soda ash Industry All projects 4(e) **4(f)** Leather/skin/hide New projects outside All new or expansion of condition Specific shall processing the industrial area or projects located within a apply industry expansion of existing notified industrial area/ units out side the estate industrial area Manufacturing/Fabrication 5(a) Chemical All projects fertilizers 5(b) Pesticides industry All units producing and pesticide technical grade specific pesticides intermediates (excluding formulations)

(1)	(2)	(3)	(4)	<u> </u>	(5)	
\$(c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)		•	-		
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General apply	Condition	shall
S (e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	restate -		Specific apply	Condition	shall
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	estate		Specific apply	Condition	shall
5(g)	Distilleries	 (i)All Molasses based distilleries (ii) All Cane juice/ non-molasses based distilleries ≥30 KLD 	All Cane juice/non- molasses based distilleries - <30 KLD		Condition	shall
5(h)	Integrated paint industry	-	All projects	General apply	Condition	shall

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of			General Condition shall apply
	paper from waste paper and manufacture of	manufacturing industry		
	paper from ready pulp with out bleaching			
5(j)	Sugar Industry	-	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	-	All projects	General Condition shall apply
6		Service Sectors	L	L
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks	All projects -		
	sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal			
	•			

2900 GI/2006-7A

<u>+</u>

'(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)	-	All projects	General Condition shall apply
7		Physical Infrastructure	including Environmental	Services
7(a)	Air ports	All projects	-	-
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
7(c)	parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones	in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area. Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least	at least one Category B industry and area <500	Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	-	All facilities having land fill only	General Condition shall apply

•

[भाग 11-- खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)	(4)	· · ·	(5)	
7(e)	Ports, Harbours	\geq 5 million TPA of	< 5 million TPA of cargo		Condition	shall
•••		cargo handling	handling capacity and/or	apply		•
		capacity (excluding	ports/ harbours ≥10,000			
		fishing harbours)	TPA of fish handling			
			capacity			
			· .			
		· · ·	•	·		
		<u> </u>	· ·	l		
7(f)	Highways		i) New State High ways;		Condition	shall
2.		ways; and	and	apply		
		· · ·				
		ii) Expansion of				
		National High ways				
		greater than 30 KM,				
		involving additional				
		right of way greater		1		
	·	than 20m involving				
		land acquisition and	acquisition.			
	1	passing through more		{ ·		
		than one State.		· ·		
P (-)	A briel comencer		All projects	General	Condition	shall
7(g)	Aerial ropeways		An projects	1	Condition	Silali
	1			apply		
7(b)	Common	<u> </u>	All projects	General	Condition	shall
/(u)	Effluent		Anprojects	apply	Condition	Silturi
	Treatment Plants			appiy		
	(CETPs)					
	(CE113)				•	
		e La companya di sana di	,			
7(i)	Common	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	All projects	General	Condition	shall
/()	Municipal Solid		rin projecto	apply	Contantion	
	Waste					
	Management				· .	
	Facility					
	(CMSWMF)				·	
			. · ·	1		•
						-
		,				•
			•		:	
					•	1. 1
					•	
					 Sec. 2.52 	1

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II - SEC. 3(6)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		Building /Constru	iction projects/Area Developme	nt projects and Townships
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.			⁺⁺ All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note:-

General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

Specific Condition (SC):

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre –defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

> [No. J-11013/56/2004-IA-II(I)] R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

APPENDIX I

(See paragraph - 6)

FORM 1

(I) Basic Information

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: *

Expected cost of the project:

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

Contact Information:

Screening Category:

• Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)

(II) Activity

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to		
	local land use plan)		
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.3	Creation of new land uses?		
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing?		
1.5	Construction works?		
1.6	Demolition works?	·····	·
1.7	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?	· · · ·	
1.8	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations	· · · · · ·	
1.9	Underground works including mining or tunneling?	· · · .	
1.10	Reclamation works?		
1.11	Dredging?		
1.12	Offshore structures?		
1.13	Production and manufacturing processes?		

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

	·			
1.14	Facilities for storage of goods or materials?			
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?	<u> </u>	 	
1.16	Facilities for long term housing of operational workers?			
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?	· · ·		
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?			
1.19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?			
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?			
1.22	Stream crossings?			
1.23	Abstraction or transfers of water form ground or surface waters?			
1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?			
1.25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		- <u>*</u>	
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?			
1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?			 ×.
1.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?			 · ·
1.29	Introduction of alien species?			
1.30	Loss of native species or genetic diversity?			
1.31	Any other actions?			

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):

S.No.	Information/checklist confirmation	Ycs/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material – stone, aggregates, and / soil (expected source – MT)		
2.5	Forests and timber (source – MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)	**************************************	

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,	-	
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		

THE GAZETTE	OF INDIA : EXTRAORI	DINARY

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
			•
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		
4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product	<u>.</u>	
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
	•		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste	[

5.6	Emissions from incineration of waste	
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)	
5.8	Emissions from any other sources	

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engine ventilation plant, crushers	s,	
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		· · ·
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

57

2900 GI/2006-8A

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, carface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist coaffirm then	YestNu	Salada thereof (with Ray toirnate Spantifies/rates, whorever Scaling) with source of Anthronation data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage the other effluents to water or the land (expected and blace of discharge)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7.3	By deposition of pollutants amitted to air into the land or into water		<u></u>
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

mation/Checklist coefficiention	Yes/No	approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
explosions, spillages, fires etc from storage, ling, use or production of hazardous ances		
any other causes	·····	
the project be affected by natural disasters g environmental damage (e.g. floods, uakes, landslides, cloudburst etc)?		
$\frac{1}{2}$	ng, use or production of hazardous nces any other causes the project be affected by natural disasters environmental damage (e.g. floods,	ng, use or production of hazardous nces any other causes the project be affected by natural disasters environmental damage (e.g. floods,

À.

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	Lead to development of supporting. lities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.:		
	• Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.)		
	housing development	t i i i	
	• extractive industries	-	
	• supply industries		
	• other		
9.2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		

59

.

10000

2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests	
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration	
4	Inland, coastal, marine or underground waters	
5	State, National boundaries	
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas	
7	Defence installations	
8	Densely populated or built-up area	
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, schools, places of worship, community facilities)	
10	Areas containing important, high quality or scarce resources (ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)	
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing legal environmental standards are exceeded)	
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)	

(IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies

<u>60</u>

APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)

CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

1. LAND ENVIRONMENT

(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)

1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii)the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.

1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).

1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).

1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)

1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)

1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.

1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)

1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

2.2. What is the capacity (depend blo flow or yield) of the proposed choice of water?

2.3. What is the quality of water inquired, in case, the supply is not from a manicipal source? (Provide physical, chemical, blob glual characteristics with class of instenovality)

2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)

2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please cosess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)

2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)

2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the fadilities created.

2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?

2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)

2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)

2.11. How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)

2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)

2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)

2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

3. VEGETATION

3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

4. FAUNA

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

5. AIR ENVIRONMENT

5.1. Will the project increase acmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

6. AESTHETICS

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

٩

7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.

7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

8. BUILDING MATERIALS

8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)

8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?

8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?

8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

9. **ENERGY CONSERVATION**

9.1, Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?

9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?

9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?

9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.

9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.

9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?

9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.

9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?

9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

APPENDIX III

(See paragraph 7

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS
1.	Introduction	Purpose of the report
		• Identification of project & project proponent
		• Brief description of nature, size, location of the project and its importance to the country, region
: ·		• Scope of the study – details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference)
2.	Project Description	• Condensed description of those aspects of the projec (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following:
		• Type of project
		• Need for the project
		• Location (maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout)

		• Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project
		• Proposed schedule for approval and implementation
		Technology and process description
		• Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose
·		• Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope)
		• Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure
3.	Description of the Environment	• Study area, period, components & methodology
		• Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope
		• Base maps of all environmental components
4.	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	• Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project
		• Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified
		• Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components
		• Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance)
		Mitigation measures
5.	Analysis of Alternatives (Technology	• In case, the scoping exercise results in need for alternatives:
	& Site)	Description of each alternative
		• Summary of adverse impacts of each alternative
		• Mitigation measures proposed for each alternative and
		Selection of alternative
···-	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	

2900 GI/2006-98

6.	Environmental Monitoring Program	• Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules)
7.	Additional Studies	 Public Consultation Risk assessment Social Impact Assessment. R&R Action Plans
8.	Project Benefits	 Improvements in the physical infrastructure Improvements in the social infrastructure Employment potential -skilled; semi-skilled and unskilled Other tangible benefits
9.	Environmental Cost Benefit Analysis	
10.	ЕМР	• Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	• The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

APPENDIX III A (See paragraph 7)-

CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report: -

1. Project Description

2. Description of the Environment

3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures

4. Environmental Monitoring Programme

5. Additional Studies

6. Project Benefits

7. Environment Management Plan

APPENDIX IV

(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District -wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2.0 The Process:

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

- (a) District Magistrate/s
- (b) Zila Parishad or Municipal Corporation
- (c) District Industries Office
- (d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the abovementioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz, Ministry of Environment and Forests, District Magistrate etc.

3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member –Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings:

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate ,and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 Time period for completion of public hearing

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing .The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

APPENDIX –V (See paragraph 7)

PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory: -

- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy)]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC

/SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form -lor Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal.

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule .In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance . As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

APPENDIX VI

(See paragraph 5)

COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

Professional: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy), or (v) a University degree , followed by 2 years of formal training in a University or Service. Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of the non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

• Environment Quality Experts: Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality

• Sectoral Experts in Project Management: Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.

• Environmental Impact Assessment Process Experts: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process

Risk Assessment Experts

Life Science Experts in floral and faunal management

• Forestry and Wildlife Experts

• Environmental Economics Expert with experience in project appraisal

3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.

4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.

5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.

6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.

7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.

8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.